न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33/2013

1. श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री बफाती शाह
2. श्री बाबु पुत्र श्री बफाती शाह
3. श्री सुल्तान मोहम्मद पुत्र श्री बफाती शाह
4. श्री अहसान अली पुत्र श्री बफाती शाह

समस्त जाति फकीर (शाह) हाल निवासी ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर

..................**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री मुंशी शाह पुत्र श्री गबरू शाह
2. श्री छीतर शाह पुत्र श्री गबरू शाह
3. श्री सदीक शाह पुत्र श्री गबरू शाह
4. श्री पप्पू शाह पुत्र श्री गबरू शाह
5. श्रीमति जमीला पत्नि श्री सतार शाह
6. श्री सलीम पुत्र श्री सतार शाह
7. श्री रफीक पुत्र श्री सतार शाह
8. श्री रमजू पुत्र श्री सतार शाह
9. श्रीमति छोटी पत्नि श्री गफार शाह
10. श्री रमजानी पुत्र श्री गफार शाह
11. श्रीमति हसीना पत्नि श्री जानी शाह पुत्रवधू श्री गफार शाह
12. श्री रईस पुत्र श्री गफार शाह
13. श्रीमति कलसुम पत्नि श्री सबरू शाह
14. श्री शब्बीर पुत्र श्री सबरू शाह
15. श्री सदाम पुत्र श्री सबरू शाह
16. श्री कालु पुत्र श्री सबरू शाह

समस्त जाति फकीर (शाह) निवासी ग्राम किशनपुरा फकीरा खेडा तहसील व जिला अजमेर।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर ....**रेस्पोडेन्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम

उपस्थित:–
1. श्री रामसुख चौधरी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शिव स्वरूप माथुर — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक – 02.05.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 06.11.1977 को पारित आदेश से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उपस्थित होने पर पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अपीलाट्स की पैतृक सह खातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम अजमेर थोक मालियान में स्थित है जो चौसाला जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 की खाता संख्या 1149 के खसरा संख्या 6610 रकबा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 6087 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 6569 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 6071 रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 6611 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 6065 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 6069 मिन रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 6571 रकबा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 6094 रकबा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 6086 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 6570 रकबा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 11 कुल रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार सह काश्तकार अपीलांटस के दादा स्वं उमराव अली शाह पुत्र श्री नत्थु शाह थे जिनके स्वर्गवास पश्चात विवादित आराजीयात जरिये विरसती नामान्तकरण संख्या 540 तस्दीक दिनांक 13.08.1963 के माध्यक से स्व0 उमराव अली शाह के पुत्रगण बफातीशाह, गबरूशाह, सतारशाह, गफारशाह, शकरूशाह के नाम इन्तकाल तस्दीक कर तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 के खाता संख्या 1149 में अंकन किया जा चुका था। अपीलांटस के दादा स्व0 उमरावअली शाह की विरासत नामान्तकरण का अंकन करने के बावजूद विवादित आराजीयात बाबत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 06.11.1977 को अवैधानिक रूप से तस्दीक कर विवादित भूमि की चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2013 में अंकन कर अपीलांटस के पिता स्व. श्री बफाती शाह पुत्र श्री उमरावअली शाह का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर दिया, प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 की नकल पटवारी से दिनांक 24.06.2013 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम अंकित नहीं है जिस पर प्रार्थीगण ने विवादित भूमि से सबंधित आवश्यक दस्तावेज संकलित कर अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि आप पारिवारिककर्तागण ने अपीलाधन आदेश के माध्यम से प्रार्थीगण के पिता बफातीशाह पुत्र श्री उमरावअली शाह का राजस्व रिकॉर्ड से अपीलाधीन आदेश के माध्यम से नाम कलमजन करवा दिया है जिसे दुरूस्त करवाया जावे। किन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से दिनांक 13.11.2013 स्पष्ट इन्कार कर दिया तत्पश्चात प्रार्थीण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त सुनवानी अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के सदभावी काश्तकार होकर अशिक्षित व्यक्ति है जो कानूनी बारिकियों से अनभिज्ञ है, अपील प्रस्तुत करने में लगा समय सदभाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश अप्रार्थीगण के पारिवारिक कर्तागण द्वारा राजस्व ऐजेन्सी से दुर्भी सन्धि कर अवैधानिक रूप से पारित करवाया है जिसकी जानकारी होते ही उक्त अपील प्रस्तुत करवाई गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में लगा समय सदभाविक होने के आधार पर क्षमा किये जाने योग्य है जिसे न्यायहित में कन्डोन किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करवाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावे ।

जिला कलक्टर
अजमेर

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाव प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही थी, जिस पर पक्षकारो की सहमती से नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 06.11.1977 पारित किया गया। जिससे यह कहना कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया पूर्णतया गलत है। विवादग्रस्त भूमि पर पूर्वजो के समय से आज दिन तक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा है एवं नामांतरकरण की जानकारी व खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी अपीलांट्स को सदैव से रही है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट एक ही कस्बे व जाति से है जिससे प्रार्थना पत्र में यह कथन करना कि जानकारी दिनांक 24.06.2013 को हुई पूर्णतया गलत है। विवादग्रस्त भूमि के नामांतरकरण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज होने तथा कब्जा रेस्पोडेन्ट का होने की जानकारी अपीलान्टस को पूर्ण रूप से थी इसके बावजूद प्रार्थना पत्र में गलत कथन अंकित कर लगभग 36 वर्ष पश्चात झुठे कथनो पर भारी मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की है जो इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम खारिज़ फरमाया जाकर भारी मयाद बाहर होने से अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गयां कि अपीलाट द्वारा अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, नामान्तंकरण के तहत हक अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार अजमेर द्वारा ग्राम थोक मालियान द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 06.11.1977 को पारित आदेश से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि पर पूर्वजो के समय से आज दिन तक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना एवं नामांतरकरण की जानकारी व खातेदारी में दर्ज होने की जानकारी अपीलांट्स को सदैव से रही है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट एक ही जाति से है। वादग्रस्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत किया गया है, तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.1977 के लगभग 36 वर्ष उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। इतनी लम्बी अवधि का देरी के संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। चूंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है जिससे हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण के 36 वर्ष के विलम्ब के लिये कोई उचित व ठोस कारण प्रदर्शित नही किया है जिससे विलम्ब को क्षमा किया जा सके। उपर्वित परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मयाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर